न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 06 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 18 / 12 / 2025

उनवान

1. गांगीबाई पिता भूराजी जाट पत्नी छगनलाल निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. भूरा पिता दौलाजी जाट निवासी रावतिया
2. मु0 पारस पिता भूराजी जाट निवासी रावतिया
3. रोशनलाल पिता शंकरलाल जाट निवासी रावतियां
4. तहसीलदार भूपालसागर
5. उप पंजीयक भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेंद्र कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। ग्राम रावतिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 199 में आ0न0 1008 / 1–1018 1056 1082 1083 1686 1687 1695 1697 1698 1699 1705 1710 1712 कुल किता 14 कुल रकबा 3.52 है0 स्थित है जो विपक्षी न0 1 भूराजी के नाम खातेदारी हक से अंकित है। ग्राम रावतिया में खाता न0 124 में आ0न0 1089 का 1 / 15 हिस्सा खाता न0 200 में आ0चा0 1696 का 1 / 2 हिस्सा तथा खाता न0 277 में आ0चा0 1072 का 1 / 15 हिस्सा विपक्षी न0 1 भूराजी के नाम पर अंकित है। कालम संख्या 2 3 में वर्णित सभी आराजियात विपक्षी नं0 1 भूरा की पैतृक आराजियात है तथा विपक्षी न0 1 भूराजी के पिता दौलाजी व पितामह हेमाजी की थी स्व0 हेमाजी के 3 पुत्र जालम लच्छीराम दौला जी थे और लच्छीराम अन्यत्र जीवाजी के गोद चले गए थे और इस प्रकार हेमाजी की आराजियात जालमजी तथा दौलाजी के आई व दौलाजी के वारीस विपक्षी न0 1 भूराजी के नाम पर दर्ज हुई इस प्रकार विपक्षी न0 1 के नाम पर दर्ज उक्त आराजियात मौरूसी है व प्रार्थिया मु0 मांगीबाई तथा विपक्षी न0 2 मु0 पारस व 1 भूराजी की पुत्रिया है व कोई पुत्र नही था अतः विपक्षी 1 के नाम दर्ज प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 2 3 में वर्णित आराजियात में प्रार्थिया विपक्षी न0 1 2 तीनों का बराबर हिस्सा है और उसके अनुसार कालम 2 दर्ज प्रार्थिया व विपक्षी न0 1 2 प्रत्येक का 1 / 3 हिस्सा तथा 3 में वर्णित चाह न0 1089 1696 1072 में प्रार्थिया व विपक्षी न0 1 2 का कमशः 1 / 45 1 / 6 1 / 45 प्रत्येक का हिस्सा है। प्रार्थिया व विपक्षी न0 2 दोनो ही विपक्षी 1 भूरा की विवाहित पुत्रिया है ससुराल रहती है मगर ग्राम रावतिया आती है व मकान खेती की देखभाल करती है इस प्रकार इनका इस आराजियात पर संयुक्त कब्जा व खातेदारी की है। उक्त आराजियात के साबिक नंबर 2015 में आ0न0 586 602 635 639 1270 / 820 819 823 825 827 817 831 832 833 थे जो विपक्षी भूराजी के नाम पर दर्ज थी और उक्त आराजियात के संवत 2015 के पूर्व की पैमायश में आ0न0 301 305 328 335 630 632 633 634 635 636 639 641 642 652 332 242 629 302 656 650 651 आदि थे तथा उक्त आराजियात हेमा पिता बरदीजाट के नाम पर दर्ज थी तथा हेमाजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात उनके पुत्र जालम व दौला के पास वारिस के रूप में आई व दौलाजी की मौत के बाद विरासत से विपक्षी न0 1 भूरा के नाम पर दर्ज हुई है हेमा की मौत करीब 60 साल पहले एवं जालम की 50 साल पहले हुई है तथा दौलाजी की मौत हेमाजी की मौत के बाद हुई है। हाल मे विपक्षी न0 2 मु0 पारस एवं उसके पति विपक्षीन0 3 रोशनलाल ने विपक्षी न0 1 भूराजी के 70 साल के वृद्ध होने व उनके स्वभाव का फायदा उठाकर 27.07.12 को कालम 2 में वर्णित आराजियात कुल किता 13 अलावा आ0न0 1056 कुल रकबा 2.75 है0 तथा 3 में 1089 1696 1072 में स्थित विपक्षी न0 [illegible] का विकयपत्र तादादी 10 लाख रूपए लिखाकर विपक्षी 3 के नाम पंजीयन [illegible] भी अपने नाम पर दर्ज चुपके से करा ली, प्राथिर्या को इसकी जानकारी नहीं थी विपक्षी 2 3 ने योजना बनाकर कुलिया जमीन विपक्षी न0 1 के नाम पर दर्ज होने से लालचवश जमीन छीनने के लिए किया। उक्त जैरबहस आराजियात प्रार्थिया व विपक्षी न0 1 2 की गौरूरी होकर [illegible] संयुक्त खातेदारी कब्जा [illegible] व अकेले

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी न0 1 को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नही है अतः उक्त विक्रयपत्र प्रार्थिया के हिस्से के मुकाबले शुन्य व अवैध है तथा प्रभावहीन है तथा इससे प्रार्थिया के हक प्रभावित नही होते है न समाप्त होते है। प्रार्थिया को राजस्व रेकार्ड की पूर्ण जानकारी नही थी लेकिन जब विपक्षी न0 2 3 के द्वारा उक्त विक्रयपत्र पंजीयन कराने की जानकारी हुई तो पता चला कि विपक्षी 3 ने छल से अपने नाम दर्ज करा ली है अतः उक्त इंद्राज की आड में इस गलत इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी न0 1 2 3 प्रार्थिया को संयुक्त कब्जे से बेदखल करना चाहते है अतः उक्त इद्राज का दुरूस्त किया जाना व विपक्षीगणों को निषेधाज्ञा के जरिए रोका जाना भी जरूरी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री किशनलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया, इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 16.07.24 को जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील उभयपक्ष एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested